

- अनुमति की शर्तें !**
- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
 - (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खंडकी केवल आवासीय तथीजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 71 दिनांक 09/05/2019

प्राधी श्री पन्त शोखर व्यास S/O श्री बालकृष्ण @ श्रीमती

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय


भवन निर्माण हेतु मानजित कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राजि रुपये 24,240/- P.No. 341 चौपान

जरिये रसीद संख्या 1005/1838, 1836 प्रमा है! बोर्ड

दिनांक 09/05/19 को जमा करा दी है।

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर


14-5-19

श्री + 1
 आवासीय